न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 23/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/153

अनवान

1. मृतक राजा पुत्र गिरधारी के कायम मुकाम व वारिसानानः–

अ– रतनाराम पुत्र राजा जाति राईका निवासी जैरोल।

ब– अणदाराम पुत्र राजा जाति राईका निवासी जैरोल।

स– नरसीराम पुत्र राजा जाति राईका निवासी जैरोल तहसील सांचोर जिला जालोर।

द– मृतक केसाराम पुत्र राजा के कायम मुकाम व वारिसानानः–

ए– मंगलाराम पुत्र केसा जाति राईका निवासी जैरोल।

बी– ठाकरीराम पुत्र केसा जाति राईका निवासी जैरोल।

सी– धोलाराम पुत्र केसा जाति राईका निवासी जैरोल।

डी– सुवटीदेवी पत्नि केसा जाति राईका निवासी जैरोल।

प्रार्थीगण.....

1. रिड़मलराम पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी जैरोल।
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण.....

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 15.07.2025

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद, श्री चेतन पुरोहित, श्री सुरेश पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी, श्री रमेश कलबी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–13.03.2026

1. प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि जैरोल पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचोर का प्रार्थी निवासी है तथा प्रार्थी के ग्राम जैरोल पटवार हल्का बिजरोल में खातेदारी का खेत खसरा संख्या 170/415 रकबा 3.00 हैक्टर व अन्य खसरा नम्बर के आयें हुयें है। जिसमे रहवासीय ढाणी बनी हुई है। उक्त खेत खसरा संख्या 170/415 में आने जाने के लिये आवागमन का रास्ता राजस्व रेकर्ड में नहीं है। परन्तु आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता नक्शा प्रदर्श अ में वर्णित मार्क ए से बी चल रहा है। जो राजस्व रेकर्ड में कटाण रास्ता दर्ज नहीं है। किन्तु प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर, सांचौर

उक्त खेत में पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 के अधीन भूमि खसरा संख्या 521/170 रकबा 2.98 हैक्टर में से चलता है, अप्रार्थी संख्या 01 के अधीन खसरा संख्या 521/170 रकबा 2.98 हैक्टर में से प्रदर्श नक्शा अ में मार्क ए से बी लम्बाई चौडाई 120×12 = 1440 वर्गफीट यानि कुल रकबा 0.01338 हैक्टर रास्ता की मुझ प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता होने से राजस्व अभिलेख में रास्ता सुविधा के लिए भूमि अभिलिखित की जावे तथा तथा ओर कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मुझ प्रार्थी के लिए नहीं हैं। मौके पर रास्ता चालू है तथा मैं प्रार्थी नियमानुसार शुल्क अदा करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी, श्री रमेश कलबी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कलबी द्वारा राजीनामा पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता वाके सरहद मौजा झेरोल के खसरा संख्या 521/170 रकबा 2.98 हैक्टर में से 120 फीट 12 फीट चोडा रास्ता जो प्रदर्श नक्शा में मार्क ए से बी रास्ता चाहा गया है प्रार्थीगण के आवागमन हेतु उक्त रास्ता देने हेतु तैयार हूं तथा प्रदर्श नक्शा अ में मार्क ए से बी रास्ता आज रोज प्रार्थीगण के आवागामान हेतु मौके पर दे दिया है तथा मैं अप्रार्थी रिडमलराम उक्त रास्ते के बदले प्रार्थीगण से कोई राशि प्राप्त करना नहीं चाहता हूं। अतः राजीनामा पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि माफिक प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु घोषित किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी रिडमलराम का कोई उजर या ऐतराज नहीं है।

4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

5. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन एवं अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

251'क' :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति , उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है किः–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवष्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 170/415 रकबा 3.15 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ते हेतु सहमति प्रदान की गई। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति व तहसीलदार सांचौर के पत्रांक/भू.अ./न्या.जांच/2025/3861 दिनांक 12.09.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नं 170/415 में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खसरा संख्या 521/170 में से 40 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के खसरा

सहायक कलेक्टर, सांचौर

नं. 170/415 में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खसरा संख्या 521/170 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा जैरोल पटवार हल्का बिजरोल के खसरा नंबर 170/415 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 521/170 रकबा 2.98 हैक्टेयर में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:— आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा अनुसार सरहद मौजा जैरोल पटवार हल्का बिजरोल के खसरा नंबर 170/415 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 521/170 रकबा 2.98 हैक्टेयर में से 40 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **13.03.2026** को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर सत्यमेव जयते जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)